

आज दिनांक 01.11.2023 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-03 दिनांक-01.10.2019 के द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार के कार्यालय आदेश संख्या-39 सह पठित ज्ञापक-974(ई0) दिनांक-26.07.2019 के द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अधीन पेड़ों के पुर्नस्थापन/पातन हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वृक्ष सुरक्षा योजना पर विचारोपरान्त निर्णय लेने हेतु गठित क्षेत्रीय सक्षम समिति की भागलपुर में अध्यक्ष-सह-क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भागलपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही :-

शेखपुरा-लखीसराय-जमुई एवं बांका जिलान्तर्गत NH-333A बरबिघा-शेखपुरा-सिकन्दरा-जमुई-झाझा-बांका-पंजवारा का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 162.01 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव

उपस्थिति :-

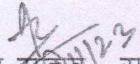
1. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भागलपुर
2. वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर
3. वन प्रमंडल पदाधिकारी, बांका वन प्रमंडल, बांका

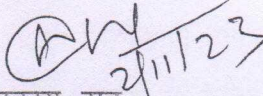
सर्वप्रथम क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भागलपुर-सह-अध्यक्ष द्वारा गठित समिति के समक्ष इस संबंध में प्राप्त निर्देशों पर विस्तृत प्रकाश डाला गया।

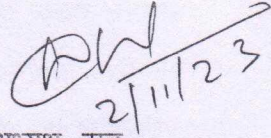
वन प्रमंडल पदाधिकारी, बांका-सह-सदस्य सचिव द्वारा क्षेत्रीय सक्षम समिति के समक्ष बताया गया कि बांका जिलान्तर्गत NH-333A बरबिघा-शेखपुरा-सिकन्दरा-जमुई-झाझा-बांका-पंजवारा झारखण्ड बोर्डर तक (0.00-198.45 कि0मी0) पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 के तहत 162.01 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु कार्य में प्रभावित होने वाले वृक्षों की कुल संख्या 9465 (नौ हजार चार सौ पैंसठ) वृक्ष हैं। वृक्ष सुरक्षा योजना में प्रस्तावित है कि 60 से0मी0 से उपर गोलाई के वृक्षों का पातन किया जाना है और 0-60 से0मी0 गोलाई तक के वृक्षों का पुर्नस्थापन किया जाना है। इसके अनुसार पातित होने वाले वृक्षों की संख्या 6149 (छः हजार एक सौ उन्नचास) है जिसमें पथ के बायें तरफ 2510 वृक्षों एवं दायें तरफ 3639 वृक्ष हैं तथा पुर्नस्थापित होने वाले वृक्षों की संख्या 3316 (तीन हजार तीन सौ सोलह) है जिसमें पथ के बायें तरफ 1230 वृक्षों एवं दायें तरफ 2086 वृक्ष हैं। उक्त सभी वृक्षों की संयुक्त गणना वन प्रमंडल पदाधिकारी, बांका एवं प्रयोक्ता एजेन्सी कार्यपालक अभियंता, रा0उ0प0प्र0 प0नि0वि0, भागलपुर के द्वारा की गयी है। वन प्रमंडलीय पत्रांक 1530 दिनांक-05.10.2023 से वृक्ष सुरक्षा योजना समर्पित किया है।

क्षेत्रीय सक्षम समिति के द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के समर्पित प्रस्ताव से संबंधित संलग्न वृक्ष सुरक्षा योजना पर सहमति दी जाती है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि के अपयोजन के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति मिलने के उपरांत ही उसमें निहित शर्तों के अधीन ही पातन/पुनर्स्थापन की कार्यवाई की जायेगी। समिति की बैठक की कार्यवाही से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना को अवगत कराने हेतु सदस्य सचिव-सह-वन प्रमंडल पदाधिकारी, बांका वन प्रमंडल को अधिकृत किया गया।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।


सदस्य सचिव-सह-
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बांका वन प्रमंडल, बांका।


सदस्य-सह-
वन संरक्षक,
भागलपुर अंचल, भागलपुर।


अध्यक्ष-सह-
क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
भागलपुर।